चिकित्सीय आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए कृपया 112 पर डायल करें।

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 209 | श्री विजय पुरम, बुधवार, 05 अगस्त 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

अण्डमान–निकोबार के द्वीपीय प्रदेशों में कनेक्टिविटी और पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ

नई दिल्ली, 4 अगस्त। (प.सू.का.)

सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों का आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना का विकास, सड़क, समुद्री और हवाई संपर्क में सुधार, डिजिटल संपर्क को बढ़ावा, पर्यटन को प्रोत्साहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और औद्योगिक विकास का सुदृढ़ीकरण, शहरी सेवाओं में सुधार, शासन में बेहतरी लाने, व्यापार करने में सुगमता और आजीविका सृजन आदि सहित कई लक्षित पहलों के माध्यम से निरंतर प्रयास किए हैं।

सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों में नवीकरणीय और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना, पीएम–कुसुम आदि योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन, व्यापक स्तर पर सौर परियोजनाओं का विकास, छतों पर सौर पैनलों की स्थापना में वृद्धि, घरों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और अन्य उपाय शामिल हैं।

दिल्ली में यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर और भारत मंडपम जैसी ऐतिहासिक एम.आई.सी.ई. (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां) अवसंरचना परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। जम्मू एवं कश्मीर में चेनानी–नाशरी सुरंग, जेड–मोरह सुरंग और उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेल लिंक सहित प्रतिष्ठित चेनाब रेल पुल जैसी रणनीतिक अवसंरचना परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। सड़क अवसंरचना को बढ़ाया गया है, जैसे दिल्ली में शहरी विस्तार सड़क–II (यूईआर–II) और द्वारका एक्सप्रेसवे का विकास, दिल्ली–देहरादून और दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवेय तथा लद्दाख में नए मोटर योग्य पुलों का निर्माण आदि जिससे क्षेत्रीय संपर्क में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। दुर्गम भूभागों तक पहुंच सुनिश्चित करने और सर्दियों के महीनों में भी चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए लद्दाख में हेलीपैड और हैंगरों का निर्माण पूरा हो चुका है। लक्षद्वीप में दैनिक निर्धारित उड़ानों और सफल परीक्षण सीप्लेन लैंडिंग के साथ हवाई संपर्क में सुधार हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजय पुरम और दमन के नमो हवाई अड्डे पर नए हवाई अड्डे के टर्मिनल बनाए गए हैं।

केंद्र शासित प्रदेशों, विशेषकर अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के द्वीपीय प्रदेशों में डिजिटल कनेक्टिविटी का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में चेन्नई अंडमान निकोबार द्वीप समूह (सीएएनआई) ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) परियोजना और कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह (केएलआई) पनडुब्बी ओएफसी परियोजना के कारण द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आया है, जिससे ऑनलाइन शिक्षा, टेली–मेडिसिन, ई–गवर्नेंस, डिजिटल बैंकिंग और ई–कॉमर्स संभव हो पाया है। इन पहलों के परिणामस्वरूप डेटा की लागत में कमी आई है और मोबाइल तथा इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवाओं में वृद्धि हुई है, इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि हुई है और दूरसंचार घनत्व तथा स्पीड में भी सुधार हुआ है। अंडमान और निकोबार में बैंडविड्थ 4.12 जीबीपीएस से बढ़कर 243 जीबीपीएस हो गई है और लक्षद्वीप में 1.7 जीबीपीएस से बढ़कर 200 जीबीपीएस हो गई है।

पर्यटन को आर्थिक विकास और आजीविका के अवसरों पर इसके गुणक प्रभाव के कारण एक प्रमुख सेक्टर के रूप में पहचाना गया है, जिससे जीवन स्तर और गुणवत्ता में सुधार होता है। सरकार केंद्र शासित प्रदेशों को पर्यटन के वैश्विक केंद्रों में बदलने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं का केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। अण्डमान तथा निकोबार में 4 पर्यावरण–पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए अनुबंध पत्र जारी किए गए हैं। लक्षद्वीप में बंगाराम में 50 और थिन्नाकारा में 100 टेंटों का संचालन शुरू हो गया हैय और दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में विश्व स्तरीय समुद्र तट, प्रमुख नदी तट और टेंट सिटी विकसित की हैं। शेष पृष्ठ 4 पर

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

एबी पीएम–जेएवाई के अंतर्गत 30 जून 2026 तक, 1.92 लाख करोड़ रुपये के व्यय से 12.69 करोड़ लोगों की अस्पताल में कैशलेस भर्ती, जिससे उनके स्वास्थ्य खर्च के प्रत्यक्ष भुगतान में कमी आई

नई दिल्ली, 4 अगस्त। (प.सू.का.)

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी–पीएमजेएवाई) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर 12 करोड़ परिवारों, जो भारत की कुल जनसंख्या के निचले 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, को द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर के अस्पताल में भर्ती उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। मार्च, 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लगभग 37 लाख परिवारों को इसमें शामिल किया गया। इसके बाद अक्टूबर 2024 में योजना का और विस्तार करते हुए 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, जो 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित हैं, को उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना योजना के दायरे में शामिल किया गया। राज्यध्केन्द्र शासित प्रदेश–वार बनाए गए आयुष्मान कार्डों का विवरण निम्नलिखित डैशबोर्ड पर देखा जा सकता है।

एबी–पीएमजेएवाई ने लोगों के जेब से होने वाले स्वास्थ्य व्यय को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 30 जून, 2026 तक इस योजना के अंतर्गत 37,413 सरकारी एवं निजी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से 12.69 करोड़ लोगों को अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने को अधिकृत किया गया, जिसकी कुल राशि 1.92 लाख करोड़ रुपये है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2022–23 के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से होने वाले स्वास्थ्य व्यय का अनुपात 2014–15 के 62.6 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में 43.4 प्रतिशत रह गया है। यह उल्लेखनीय कमी दर्शाती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ने तथा आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी सार्वजनिक वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के विस्तार के कारण अब परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं पर अपनी जेब से अपेक्षाकृत काफी कम खर्च करना पड़ रहा है। यह जानकारी केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

सरकार ने देशभर में डेयरी विकास, पशुधन अवसंरचना और पशु स्वास्थ्य तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए

नई दिल्ली, 4 अगस्त। (प.सू.का.)

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लोकसभा को सूचित किया कि सरकार डेयरी अवसंरचना, नस्ल सुधार, उद्यमिता प्रोत्साहन और पशु स्वास्थ्य तैयारियों में लक्षित उपायों के माध्यम से डेयरी और पशुधन क्षेत्रों को निरंतर सुदृढ़ कर रही है।

सरकार ने बताया कि दुग्ध खरीद मूल्य डेयरी सहकारी समितियों और निजी डेयरियों द्वारा व्याप्त बाजार स्थितियों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। विभाग को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिससे यह संकेत मिले कि खरीद और खुदरा कीमतों के बीच अंतर के कारण डेयरी किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं।

राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) ने दुग्ध सेक्टर को सुदृढ़ करने के लिए जून 2026 तक 36,611 नई दुग्ध सहकारी समितियों के गठन को सुगम बनाया है और 34,557 ग्राम स्तरीय दुग्ध सहकारी समितियों को सुदृढ़ किया है। प्रतिदिन लगभग 168 लाख लीटर दुग्ध शीतलन क्षमता सृजित की गई है, जबकि 76,748 दुग्ध गुणवत्ता परीक्षण उपकरण वितरित किए गए हैं।

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) के तहत प्रतिदिन 418 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन क्षमता वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस से एकीकृत दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल पर वर्तमान में दिल्ली में तीन सक्रिय डेयरी सहकारी समितियां प्रदर्शित हैं।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) के अंतर्गत स्वदेशी नस्लों के विकास, आनुवंशिक सुधार और उत्पादकता बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। तमिलनाडु को पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार से 12,521.83 लाख रुपये की सहायता प्राप्त हुई, जिसका राज्य ने पूर्णतः उपयोग किया। इस सहायता से 36.13 लाख कृत्रिम गर्भाधान, चार वीर्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, 475 ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एमएआईटीआरआई) का प्रशिक्षण एवं उपकरण उपलब्धता, दो आईवीएफ प्रयोगशालाओं की स्थापना, लिंग–आधारित वीर्य परीक्षण सुविधाओं का निर्माण, तीन नस्ल गुणन फार्मों की स्थापना और बछिया पालन केंद्रों के लिए सहायता संभव हुई।

सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) और पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के तहत देशव्यापी उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। पिछले पांच वर्षों में राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत 17.27 करोड़ से अधिक कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं, जिससे लगभग 5.98 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है।

शेष पृष्ठ 4 पर

शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

श्री विजय पुरम, 4 अगस्त

शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति (एसटी) विद्यार्थियों से निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत नवीन एवं नवीनीकरण दोनों प्रकार के आवेदनों के लिए नीचे दी गई समय–सीमा के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:–

1) अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए पूर्व–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (केंद्र प्रायोजित योजना)		आय सीमा/पात्रता
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	31.12.2026	अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
त्रुटिपूर्ण आवेदन सत्यापन की तिथि	01.01.2027	
संस्थान स्तर पर सत्यापन की तिथि	01.01.2027	
डीएनओ/एसएनओ/एमएनओ स्तर पर सत्यापन की तिथि	31.01.2027	
2) अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए उत्तर–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (केंद्र प्रायोजित योजना)		
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	31.12.2026	अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
त्रुटिपूर्ण आवेदन सत्यापन की तिथि	01.01.2027	
संस्थान स्तर पर सत्यापन की तिथि	01.01.2027	
डीएनओ/एसएनओ/एमएनओ स्तर पर सत्यापन की तिथि	31.01.2027	
3) अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्ति योजना (संघ राज्य क्षेत्र योजना)		
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	31.12.2026	आय सीमा की परवाह किए बिना अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सभी अनुसूचित जनजाति मूल निवासी पात्र हैं।
त्रुटिपूर्ण आवेदन सत्यापन की तिथि	01.01.2027	
संस्थान स्तर पर सत्यापन की तिथि	01.01.2027	
डीएनओ/एसएनओ/एमएनओ स्तर पर सत्यापन की तिथि	31.01.2027	

सभी पात्र अनुसूचित जनजाति (एसटी) विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) https://scholarships.gov.in पर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह–राज्य योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करें–

- अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए पूर्व–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए उत्तर–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्ति योजना

प्राप्त विज्ञप्ति में आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके आधार का विवरण अद्यतन हो तथा वह उनके वर्तमान बैंक खाते एवं पंजीकृत मोबाइल नंबर से संबद्ध हो, ताकि छात्रवृत्ति की राशि के भुगतान में किसी प्रकार की विफलता न हो। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर ऑनलाइन आवेदन भरने में अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों की सहायता हेतु सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में एक समर्पित सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अधिक सहायता प्रदान करने के लिए जनजातीय कल्याण निदेशालय, सचिवालय परिसर, श्री विजय पुरम में एक केंद्रीय सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया है। सभी पात्र अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों से आग्रह किया गया है कि वे आगे आकर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं।

मानसून के दौरान आवारा एवं सामुदायिक पशुओं की देखभाल एवं संरक्षण की अपील

श्री विजय पुरम, 4 अगस्त

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने आम जनता से अपील की है कि वे चल रहे मानसून के दौरान आवारा एवं सामुदायिक पशुओं की देखभाल एवं संरक्षण सुनिश्चित करने में सहयोग करें।

भारी वर्षा एवं जलभराव के कारण आवारा पशुओं के घायल होने, बीमार पड़ने तथा भोजन के अभाव का खतरा बढ़ जाता है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे यथासंभव ऐसे पशुओं को अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराएं, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं तथा यदि कोई बीमार अथवा घायल पशु दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम पशु चिकित्सालय को दें।

पालतू पशुओं के मालिकों को भी सलाह दी गई है कि वे भारी वर्षा के दौरान अपने कुत्तों अथवा अन्य पालतू पशुओं को बाहर न जाने दें, ताकि दुर्घटनाओं, रोगों के प्रसार तथा अन्य जोखिमों से बचाव किया जा सके। मानसून के दौरान सामुदायिक पशुओं के कल्याण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पशु कल्याण संगठनों, स्वयंसेवकों एवं आम जनता से सहयोग करने का आग्रह किया गया है।

राज्य परिवहन सेवा, मायाबंदर में नशा दुरुपयोग जागरूकता एवं परामर्श कार्यक्रम चलाया गया

मायाबंदर, 4 अगस्त

एकीकृत नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए), उत्तर व मध्य अण्डमान द्वारा राज्य परिवहन सेवा (एसटीएस), मायाबंदर के कर्मचारियों के लिए नशा दुरुपयोग जागरूकता एवं परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम का आयोजन मदिरा एवं मादक पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, स्वस्थ एवं नशामुक्त कार्यस्थल को बढ़ावा देने तथा चालकों, परिचालकों, कार्यशाला कर्मचारियों एवं राज्य परिवहन सेवा के अन्य कर्मचारियों के बीच ज़िम्मेदार वाहन संचालन की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम के दौरान नशा दुरुपयोग की रोकथाम, तनाव प्रबंधन, सड़क सुरक्षा, स्वस्थ जीवनशैली, परामर्श सेवाओं तथा एकीकृत नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र के माध्यम से उपलब्ध उपचार एवं पुनर्वास सुविधाओं पर जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। वक्ताओं ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से होने वाले स्वास्थ्य, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों से नशामुक्त एवं

ज़िम्मेदार समाज के निर्माण में सक्रिय सहयोग करने का आह्वान किया। एकीकृत नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र के अधिकारियों ने उपस्थितजनों का स्वागत किया तथा नशे की लत से मुकाबला करने एवं जागरूकता फैलाने में सामूहिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। कार्यक्रम में राज्य परिवहन सेवा के लगभग 40 कर्मचारियों ने भाग लिया। यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम का समापन एकीकृत नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र, उत्तर व मध्य अण्डमान की परियोजना समन्वयक–सह–व्यावसायिक परामर्शदाता श्रीमती एम. सुविदा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

आयुष प्रकोष्ठ द्वारा नियमित योग कक्षाओं का आयोजन

श्री विजय पुरम, 4 अगस्त।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अंतर्गत कार्यरत आयुष प्रकोष्ठ द्वारा आम जनता के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वीपसमूह के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों एवं सामुदायिक स्थलों पर नियमित योग कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है।

चल रहे योग सत्रों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं	स्थान	दिन/समय
1	उप–ज़िला अस्पताल, डिगलीपुर, उत्तर अण्डमान (योग हॉल)	सोमवार से शुक्रवार, सायं 4 बजे से सायं 5 बजे तक
2	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद अस्पताल, मायाबंदर, उत्तर व मध्य अण्डमान (योग हॉल)	सोमवार से शुक्रवार, सुबह 5.30 बजे से सुबह 6.30 बजे तक
3	बिशप जॉन रिचर्डसन अस्पताल (बीजेआर), परका, कार निकोबार (योग हॉल)	सोमवार से शनिवार, सायं 5 बजे से सायं 6 बजे तक
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैम्पबेल बे	सोमवार से शुक्रवार, सायं 3.30 बजे से सायं 4.30 बजे तक
5	सामुदायिक भवन, ओंगी टेकरी, लिटिल अण्डमान	सोमवार से शनिवार, सायं 5 बजे से सायं 6 बजे तक
6	स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र, स्वराज द्वीप	सोमवार से शुक्रवार, सुबह 5 बजे से सुबह 6 बजे तक एवं सायं 3 बजे से साय 4.30 बजे तक
7	आयुष अस्पताल, जंगलीघाट, श्री विजय पुरम (योग हॉल)	सोमवार से शनिवार, सुबह 5 बजे से सुबह 6 बजे तक एवं सायं 4 बजे से सायं 5 बजे तक
8	मरीना पार्क, श्री विजय पुरम (राज्य स्थापना स्मारक)	प्रतिदिन, सुबह 5.30 बजे से सुबह 6.30 बजे तक (बुधवार को छोड़कर)

इन नियमित योग सत्रों का उद्देश्य स्वस्थ जीवनशैली की आदतों को प्रोत्साहित करना, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करना, तनाव को कम करना तथा जीवन की समग्र गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। ये कक्षाएं आयु एवं शारीरिक क्षमता की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए खुली हैं। यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने द्वीपों के सभी निवासियों से इन योग सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा समग्र स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए योग के लाभों का अनुभव करने का आग्रह किया है।

रंगत खंड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर संपन्न

रंगत, 4 अगस्त

समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत खंड परियोजना कार्यालय, रंगत, मध्य अण्डमान द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए दो दिवसीय पहचान एवं चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी सभागार तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कदमतला में किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रंगत एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कदमतला की चिकित्सकीय टीमों तथा अलिम्को–पीएमडीके के विशेषज्ञ श्री सब्बीर रहमान बिस्वास, श्री नवीन आनंद एवं श्री हरि शंकर चव्हाण ने शिविर में सेवाएं प्रदान कीं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नीम्बूतला की श्रीमती शर्मिला बाला ने आंतरिक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। शैक्षिक एवं व्यावसायिक मूल्यांकन सुश्री के. शाहला यासमीन, बीआरपी (सीडब्ल्यूएसएन), प्रभारी बीएलआरआर, रंगत तथा सुश्री बलेश्वरी, बीआरपी (सीडब्ल्यूएसएन) द्वारा किया गया। पात्र बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण–अधिगम सामग्री (टीएलएम) किट भी प्रदान की गई। दोनों स्थानों पर कुल 55 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से 11 बच्चों को आगे के विस्तृत मूल्यांकन के लिए संदिग्ध प्रकरण के रूप

में चिन्हित किया गया। विद्यार्थियों एवं विद्यालय कर्मचारियों सहित कुल 93 व्यक्तियों की उपस्थिति दर्ज़ की गई। शिविर के दौरान व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण, दृष्टि एवं नेत्र जांच, श्रवण परीक्षण, दंत चिकित्सा देखभाल, आहार संबंधी परामर्श, शैक्षिक एवं व्यावसायिक मूल्यांकन, सांकेतिक भाषा सहायता तथा समावेशी शिक्षा संबंधी मार्गदर्शन जैसी सेवाएं प्रदान की गईं। यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि यह पहल शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शीघ्र पहचान, समय पर हस्तक्षेप तथा निरंतर सहयोग सुनिश्चित करना है, ताकि उनके लिए अधिक समावेशी एवं बाल–अनुकूल शिक्षण वातावरण विकसित किया जा सके।

सरकार ने देशभर में डेयरी विकास, पशुधन

——————————पृष्ठ 1 का शेष

कुल 47,687 मैत्री (ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन) को प्रशिक्षित किया गया है, 24 आईवीएफ प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, 48 वीर्य केंद्रों को मंजूरी दी गई है और 28 बछिया पालन केंद्रों को अनुमोदित किया गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत, 4,084 नस्ल गुणन फार्मों को मंजूरी दी गई है, 1.61 लाख मीट्रिक टन गुणवत्तापूर्ण चारा बीज का उत्पादन किया गया है और 204 साइलेज और संपूर्ण मिश्रित राशन इकाइयों को मंजूरी दी गई है। एलएचडीसीपी के तहत खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स और क्लासिकल स्वाइन फीवर के विरुद्ध व्यापक स्तर पर टीकाकरण जारी है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत 4,291 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल लागत 2,956.79 करोड़ रुपये है और 1,356.53 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं से लगभग 21,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने और लगभग 91,000 किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम पूरी तरह से डिजिटल पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और सब्सिडी का वितरण सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। सरकार ने सदन को यह भी सूचित किया कि मध्य प्रदेश में 29 जून से 3 जुलाई 2026 तक आयोजित राष्ट्रीय मॉक अभ्यास, पशुजन्य युद्ध अभ्यास का सफल मूल्यांकन किया गया है। इस अभ्यास से समन्वय, निगरानी, जैव सुरक्षा, प्रयोगशाला प्रोटोकॉल, संक्रमण रोकथाम, आपातकालीन प्रतिक्रिया और अंतर–एजेंसी संचार में सुधार करके पशुजन्य रोगों के प्रकोप से निपटने की तैयारियों को मजबूती मिली है। विभाग पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रोग निगरानी, टीकाकरण, प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण, मानक संचालन प्रक्रियाओं, संकट प्रबंधन योजनाओं और क्षमता निर्माण के माध्यम से राज्यों को निरंतर सहायता प्रदान कर रहा है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के द्वीपीय

——————————पृष्ठ 1 का शेष

केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और क्षमता के अनुरूप विभिन्न विशिष्ट गतिविधियों की पहचान की है और पर्यटन के विभिन्न पारंपरिक और प्रयोगात्मक रूपों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जैसे जम्मू–कश्मीर में शीतकालीन पर्यटन, लद्दाख में एस्ट्रो टूरिज्म (देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व हानले में स्थापित किया गया है), लक्षद्वीप में क्रूज पर्यटन, पुडुचेरी में आध्यात्मिक पर्यटन, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में पर्यावरण पर्यटन, चंडीगढ़ में पर्यटन सर्किट का विकास आदि। इन सभी प्रयासों से केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

केंद्र शासित प्रदेशों ने सामुदायिक पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय आजीविका सृजित करने के लिए अपनी–अपनी होमस्टे नीतियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय कला और पारंपरिक शिल्पों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणित 12 समुद्र तटों में से 5 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं और अधिक समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को भी पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है। जम्मू में एम्स प्रचालनगत हो चुका है। लक्षद्वीप के सभी आबाद द्वीपों में अब टेलीमेडिसिन सेवाएं उपलब्ध हैं। सिलवासा स्थित नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिलवासा में 450 बिस्तरों वाला नमो अस्पताल और दमन में 345 बिस्तरों वाला नमो अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

केंद्र शासित प्रदेश स्वच्छ और किफायती बिजली स्रोतों के साथ बिजली आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सौर और जल विद्युत परियोजनाएं आरंभ कर रहे हैं।

केंद्र शासित प्रदेशों में औद्योगिक विकास के लिए भी उपाय किए गए हैं। जम्मू–कश्मीर में विनिर्माण और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास हेतु नई केंद्रीय क्षेत्र योजना 28,400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई है। व्यापक निवेश प्रोत्साहन और एकल–खिड़की मंजूरी तंत्र लागू किए गए हैं, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों में निवेश का वातावरण बेहतर हुआ है। उद्योगों, भूमि आवंटन, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन आदि से संबंधित नीतियां केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू की गई हैं, जिनका उद्देश्य उपयुक्त प्रोत्साहनों, सब्सिडी और अन्य उपायों के माध्यम से व्यवसायों और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इन उपायों के परिणामस्वरूप व्यवसायों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है और केंद्र शासित प्रदेश आर्थिक विकास और समृद्धि (आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था) के चालक के रूप में उभरे हैं।

उपरोक्त के अलावा, केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। लाइसेंस और अन्य व्यापार संबंधी स्वीकृतियों के जारी करने की प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित बनाया गया है। भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति के अनुरूप, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए ऑनलाइन सेवा वितरण, डिजिटल प्रसंस्करण और स्वीकृतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्यमिता, लघु एवं मध्यम उद्यमों, मत्स्य पालन, पर्यटन और अन्य आजीविका कार्य कलापों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। सेवा वितरण को सुगम बनाने के लिए डिजिटल अवसंरचना और ई–गवर्नेंस को और सुदृढ़ किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी विशिष्ट शक्तियों और संसाधनों के आधार पर त्वरित आर्थिक विकास के लिए कुछ प्राथमिकता वाले आर्थिक क्षेत्रों की पहचान की है, जैसे कि समुद्री अर्थव्यवस्था का विकास करना, क्षेत्रीय ज्ञान/आईटी/चिकित्सा केंद्रों का रूपांतरण आदि।

पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किए गए व्यापक विधायी और नियामक पहलों के अंतर्गत, आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक 21 उपायों को संसाधित किया गया, जिनमें 19 विनियमन, विधेयक या कानूनों के विस्तार और वैधानिक शक्तियों के दो प्रत्यायोजन शामिल हैं। इनमें कराधान, श्रम विनियमन, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण, कृषि विपणन, खनिज विकास, मत्स्य पालन, उत्पाद शुल्क, सार्वजनिक सेवा वितरण और व्यापार सुविधा से संबंधित कानून शामिल हैं। इन उपायों ने कर और नियामक ढांचों को युक्तिसंगत बनाकर, प्रक्रियात्मक विलंब और छोटे आपराधिक अनुपालनों को कम करके, व्यापार संबंधी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करके, व्यापार और संपत्ति लेनदेन को सुगम बनाकर और श्रम एवं क्षेत्र–विशिष्ट विनियमन का आधुनिकीकरण करके केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक विकास के लिए सक्षमकारी वातावरण को सुदृढ़ किया है। सामूहिक रूप से, ये अनुपालन लागत को कम करते हैं, नियामकीय निश्चितता में सुधार लाते हैं, निवेश और उद्यम को प्रोत्साहित करते हैं, रोजगार सृजन में सहायता करते हैं और स्थानीय आर्थिक संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग को सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रावधानों के विनियमन और अपराधीकरण को कम करने का दो–आयामी दृष्टिकोण भी अपनाया गया है।

रोजगार सृजन और कौशल विकास सरकार के लिए प्राथमिकता क्षेत्र बने हुए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि जैसी योजनाएं केंद्र शासित प्रदेशों में युवाओं के लिए आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी ढंग से कार्यान्वित की जा रही हैं।

केंद्र शासित प्रदेश प्रधानमंत्री सूर्य घररू मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय और सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर प्लांटों को बढ़ावा दिया जा रहा है और संस्थापित किया जा रहा है। स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपशिष्ट–से–ऊर्जा पहल भी शुरू की गई हैं।

केंद्र शासित प्रदेशों में स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन के लिए ई–मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, एफएएमई, पीएम ई–ड्राइव आदि जैसी विभिन्न पहलों के तहत इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई है।

केंद्र शासित प्रदेशों ने इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीयध्सौर ऊर्जा आदि के संबंध में नीतियां अधिसूचित की हैं, जैसे केंद्र शासित प्रदेश की दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव नवीकरणीय ऊर्जा नीति, 2024, दिल्ली सौर ऊर्जा नीति, 2023 । इन नीतियों के अंतर्गत और सरकारी योजनाओं के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

केंद्र शासित प्रदेशों में संस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि की गई है, जिसमें सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से लैस करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उदाहरण के लिए, चंडीगढ़ और दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव ने सभी संभावित सरकारी आवासीय और कार्यालय भवनों की 100 प्रतिशत छतों पर सौर ऊर्जा का आवरण स्थापित कर लिया है। केंद्र शासित प्रदेशों ने इस संबंध में कई अन्य पहलें भी की हैं, जैसे जम्मू–कश्मीर में जनजातीय आबादी के बीच धुआं रहित बायोमास चूल्हे का वितरण।

उपरोक्त उल्लिखित ऊर्जा पहलों के परिणामस्वरूप केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को विभिन्न लाभ प्राप्त हुए हैं, जैसे स्वच्छ और विश्वसनीय बिजली की उपलब्धता में वृद्धिय छत पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने के माध्यम से घरों और सार्वजनिक संस्थानों के बिजली व्यय में कमीय पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता में कमी और ऊर्जा सुरक्षा में सुधारय नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना, संचालन और रखरखाव में स्थानीय रोजगार के अवसरों का सृजन, आदि। इन सभी से घरों, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों और सामुदायिक सुविधाओं के लिए बिजली की बेहतर पहुंच के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन भी हुआ है। गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

लिटिल अण्डमान में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान एवं चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर संचालित

श्री विजय पुरम, 4 अगस्त।

खंड परियोजना अधिकारी (समग्र शिक्षा), लिटिल अण्डमान के तत्वावधान में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए पहचान एवं मूल्यांकन (चिकित्सीय मूल्यांकन) शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन 4 अगस्त, 2026 (मंगलवार) को पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रामकृष्णपुर, लिटिल अण्डमान के बहुउद्देशीय सभागार में किया गया।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शिविर का संचालन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रामकृष्णपुर की चिकित्सकीय टीम द्वारा किया गया, जिसमें डॉ. फरहीन, बीएचएमएस, सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) तथा श्रीमती सुचित्रा मिस्त्री, महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षिका शामिल थीं। उन्होंने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उनकी शैक्षिक एवं पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं की पहचान एवं आकलन किया।

चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर में कुल 25 विद्यार्थियों ने अपने माता–पिता एवं अभिभावकों के साथ भाग लिया। इनमें 8 बच्चों को संदिग्ध के रूप में चिन्हित किया गया, जिनमें से 2 बच्चे ओंगी जनजाति से संबंधित थे।

कार्यक्रम का समापन श्रीमती एम. विजयलक्ष्मी, बीआरपी (सीडब्ल्यूएसएन) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय, मायाबंदर में संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित

मायाबंदर, 4 अगस्त

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के अनुसार महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय, मायाबंदर, उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला शैक्षणिक सत्र 2026–27 के दौरान आवश्यकता पड़ने पर स्नातक पाठ्यक्रमों के अध्यापन हेतु अतिथि संकाय के रूप में सेवाएं लेने के लिए कंप्यूटर विज्ञान विषय में संसाधन व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने का प्रस्ताव रखता है।

संसाधन व्यक्तियों को प्रति व्याख्यान 1,500 रुपये (केवल एक हजार पांच सौ रुपये) मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा, जो अधिकतम 50,000 रुपये (केवल पचास हजार रुपये) तक होगा अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार देय होगा।

शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 के प्रावधान के अनुसार न्यूनतम पात्रता संबंधित विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा यूजीसी–नेट उत्तीर्ण होना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 अथवा 2016 के अनुसार प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि धारकों को यूजीसी–नेट से छूट प्राप्त होगी।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पात्र अभ्यर्थी अपना संक्षिप्त व्यक्तिगत विवरण तथा संबंधित दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी प्राचार्य, महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय, मायाबंदर–744204, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के कार्यालय में 12 अगस्त, 2026 तक अथवा उससे पूर्व जमा करें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 का विवरण तथा जीवन–वृत्त प्रारूप महाविद्यालय की वेबसाइट **http://mggcm.and.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने चलाया ‘कैच द रेन’ अभियान

श्री विजय पुरम, 4 अगस्त

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अण्डमान तथा निकोबार क्षेत्रीय केंद्र द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) के "कैच द रेन" अभियान का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय प्रमुख डॉ. लाल जी सिंह के नेतृत्व में वानस्पतिक उद्यान स्थित जल पुनर्भरण संरचना पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर केंद्र के सभी वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल जोखिम और आपदाएं

नई दिल्ली, 4 अगस्त। (प.सू.का.)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), जिसे देश में वर्ष 2016–17 से कार्यान्वित किया गया है, राज्यों के साथ–साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। यह योजना संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलोंध्क्षेत्रों के लिए बुआई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक, गैर–निवारणीय प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के विरुद्ध में व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। जंगली जानवरों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान, जिसे रोका जा सकता है, को पहले इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया गया था। तथापि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के अनुरोध पर, राज्यों को व्यक्तिगत आकलन के आधार पर जंगली जानवरों द्वारा होने वाले नुकसान को ऐड्ऑन कवर के रूप में अधिसूचित करने की अनुमति दी गई है, जिसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इस तरह के कवरेज के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में दिया गया है।

जलभराव को जोखिम कवर के रूप में च्ड्थ्ठल के अंतर्गत सभी अधिसूचित फसलों के लिए उपलब्ध कराया गया है। तथापि, स्थानीय दावों के मामलों को छोड़कर हाइड्रोफिलिक फसलों जैसे कि धान, पटसन, मेस्टा, गन्ना आदि फसलों के लिए बीमा कवर उपलब्ध है।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

मौसम संबंधी चेतावनी

श्री विजय पुरम, 4 अगस्त।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 5 से 10 अगस्त, 2026 को एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा (7–11 सेमी) होने की प्रबल संभावना है। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में एक या दो स्थानों पर को आंधी, तेज हवाएं (50–60 किमी प्रति घंटा) और बिजली गिरने की प्रबल संभावना है। किसानों को चेतावनी : 5, 6, 7 और 8 अगस्त को निकोबार द्वीपसमूह में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश (7–11 सेमी) के आसार है तथा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में बिजली गिरने और तेज हवाओं (50–60 किमी प्रति घंटा) के साथ तूफान आने की संभावना है। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में एक या दो स्थानों पर तेज हवाओं (50–60 किमी प्रति घंटा) के साथ बिजली गिरने और गरज के साथ तूफान आने की संभावना है।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

शपथ पत्र

1. सेवा क्रमांक 5351952'W', रैंक Hav, नाम दीपक सपकोटा, पुत्र श्री बाबुराम सापकोटा, वर्तमान में 2/4 GR, ब्रिजगंज मिलिट्री स्टेशन, ब्रिचंगज, श्री विजय पुरम तहसील, दक्षिण अण्डमान जिला, अण्डमान तथा निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में निवासी, एतद्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूँ:–

1) मेरे सेवा अभिलेख में मेरी माता का नाम गलती से तुलसी सापकोटा के स्थान पर तुलसी देवी सापकोटा दर्ज कर दिया गया है और उनकी जन्मतिथि भी गलती से 25/12/1962 के स्थान पर दर्ज कर दी गई है, जबकी उनकी सही जन्मतिथि 01/06/1962 है।

2) मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी माता का सही नाम तुलसी देवी सापकोटा है और उनकी सही जन्म तिथि 01/06/1962 है, जैसा कि मेरे पास उपलब्ध उनके प्रथम एन आई डी कार्ड में दर्ज है।

3) यह कि मैं यह हलफनामा अपनी माता जी का सही नाम तुलसी देवी सापकोटा और सही जन्म तिथि 01/06/1962 मेरी सर्विस बुक और संबंधित रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए दे रहा हूँ।

4) यह कि उपयुक्त सभी कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य और सही है।

दिनांक : 30/07/26
स्थान : श्री विजय पुरम

शपथकर्ता

शपथ पत्र

मैं सेवा क्रमांक संख्या 5351774वाई, रैंक हवलदार जस बहादुर राना, आयु 40 वर्ष, पुत्र श्री भाविश्वर राणा, धर्म से हिंन्दु, भारतीय सेना में कार्यरत, सैन्य स्टेशन ब्रिचगंज, श्री विजय पुरम में तैनात और वर्तमान में सैन्य स्टेशन ब्रिचगंज, श्री विजय पुरम तहसील, दक्षिण अण्डमान जिला, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निवास करता हूं, एतद्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं और घोषणा करता हूं कि–

1. मेरे पिता का सही नाम उनके प्रथम एनआईडी कार्ड अनुसार भविश्वर राणा है और उनका सही जन्म तिथि 27/11/1953 है
2. मेरे सेवा अभिलेखों में मेरे पिता के नाम की वर्तनी भविशोर राणा और उनके जन्म तिथि 01/07/1953 दर्ज है अतः मै अपने सेवा अभिलेखों में अपने पिता का सही नाम भविश्वर राणा और उनके सही जन्म तिथि 27/11/1953 दर्ज करना चाहता हूं।
3. यह कि भाविश्वर राणा और भविश्वर राणा दोनो नाम एक की व्यक्ति के नाम है और ये मेरे पिता है और जिनकी सही जन्म तिथि 27/11/1953 है।

अपने सेवा अविलेखो में पिता का सही नाम भाविश्वर राणा और उनकी सही जन्म तिथि 27/11/1953 दर्ज करने के लिए यह शपथ पत्र दर्ज कर रहा हूं।

सोएट उपरोक्त कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

दिनांकः 03/08/26
स्थानः श्री विजय पुरम

शपथकर्ता

शपथ पत्र

मैं सेवा क्रमांक संख्या 5351774वाई, रैंक हवलदार जस बहादुर राणा, आयु 40 वर्ष, पिता श्री भावेश्वर राणा, हिन्दू धर्म से, भारतीय सेना में कार्यरत, श्री विजय पुरम स्थित ब्रिचगंज सैन्य स्टेशन में तैनात और वर्तमान में श्री विजय पुरम तहसील, दक्षिण अण्डमान जिला, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निवास करता हूं, एतद्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं और घोषणा करता हूं कि–

1. मेरे माताजी का प्रथम एन आईडी कार्ड के अनुसार सही नाम भुवानी राणा और उनके सही जन्म तिथि 29/06/1958 हैं।
2. मेरे सेवा अभिलेख में मेरी माताजी का नाम भीम कुमारी राणा है और उनकी जन्म तिथि 01/07/1959 दर्ज है। अतः मैं अपनी माता का सही नाम भुवानी राणा और उनकी सही जन्म तिथि 29/06/1958 अपने सेवा अभिलेखो में दर्ज करवाना चाहता हूं।
3. यह कि भुवानी राणा और भीम कुमारी राणा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं और यह नाम मेरी माता के हैं और उनकी सही जन्म तिथि 29/06/1958 है।
4. मैं अपनी माता जी के नाम भुवानी राणा और उनका सही जन्मतिथि 29/06/1958 दर्ज कराने के लिए यह शपथ पत्र दर्ज कर रहा हूं।

सोएट उपरोक्त कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

दिनांकः 03/08/26
स्थानः श्री विजय पुरम

शपथकर्ता

युवा संगम फेज–7 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू

नई दिल्ली, 04 अगस्त (हि.स.)। शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' (ईबीएसबी) पहल के तहत युवा संगम फेज–7 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी। 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के स्वयंसेवक तथा युवा पेशेवर शामिल हैं, आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से 18 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार युवा संगम फेज–7 के संचालन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) सहित 20 उच्च शिक्षण संस्थानों को नोडल संस्थान बनाया गया है। चयनित प्रतिभागी अपने संबद्ध राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में पांच से सात दिनों की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उन्हें स्थानीय संस्कृति, परंपराओं, शैक्षणिक संस्थानों, सुशासन, नवाचार, उद्योगों, विरासत स्थलों और सामुदायिक जीवन से प्रत्यक्ष रूप से परिचित होने का अवसर मिलेगा।

इस चरण में उत्तर प्रदेश को केरल, मध्य प्रदेश को कर्नाटक, असम को तेलंगाना, गोवा को मिजोरम, राजस्थान को सिक्किम, जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख को महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल को उत्तराखंड, चंडीगढ़ को गुजरात, हिमाचल प्रदेश को ओडिशा तथा दिल्ली को तमिलनाडु के साथ जोड़ा गया है। इन राज्यों के लिए क्रमशः बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आईआईटी पालक्काड, एसपीए भोपाल, केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटक, आईआईटी गुवाहाटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद, एनआईटी गोवा, केंद्रीय विश्वविद्यालय मिजोरम, आईआईटी जोधपुर, सिक्किम विश्वविद्यालय, एनआईटी श्रीनगर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, आईआईएस ईआर मोहाली, केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात, एनआईटी हमीरपुर, आईआईएम संबलपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु को नोडल संस्थान बनाया गया है।

शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि युवा संगम उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के युवाओं के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाना और परस्पर समझ को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम 'विविधता में एकता' की भावना को बढ़ावा देते हुए युवाओं को देश की सांस्कृतिक, भाषाई, शैक्षणिक और विकासात्मक विविधता से रूबरू कराता है।

कार्यक्रम को पर्यटन, परंपरा एवं संस्कृति, प्रगति एवं सुशासन, जन–से–जन संपर्क तथा प्रौद्योगिकी एवं नवाचार जैसे पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया गया है। मंत्रालय ने देशभर के युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाकर भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को निकट से जानने तथा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के संदेश को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है।

इस बार डिजिटल होगी जनगणना, घर बैठे भर सकेंगे फॉर्म, जानें जाति और माता–पिता से जुड़े नए नियम

नई दिल्ली, 04 अगस्त।

भारत में जनगणना की प्रक्रिया अब एक नए और ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच गई है। 17 अगस्त से देश में जनगणना 2027 का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इस बार की जनगणना पिछले दशकों के मुकाबले काफी अलग और डिजिटल होने वाली है। इस चरण में न केवल आपकी जानकारी ली जाएगी बल्कि पहली बार जाति और आपके माता–पिता के जन्म से जुड़े कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो पहले कभी नहीं पूछे गए।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, जनगणना का यह महत्वपूर्ण दूसरा चरण 17 अगस्त से प्रभावी होगा। हालांकि, भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए कुछ राज्यों के लिए शेड्यूल में बदलाव किया गया है। लद्दाख, जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में यह प्रक्रिया 1 से 30 सितंबर तक चलेगी। खास बात यह है कि आम जनता के लिए 17 से 30 अगस्त तक स्व–गणना की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है जब सामान्य जनगणना में जाति की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, यह जानकारी उत्तरदाता (जवाब देने वाले) द्वारा घोषित विवरण के आधार पर ही दर्ज होगी। SC और ST श्रेणी के लिए सिस्टम में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा जहां से वे अपनी जाति चुन सकेंगे। अन्य श्रेणियों के जो लोग अनुसूचित जाति या जनजाति में नहीं आते उनके लिए जाति का अलग विकल्प दिया जाएगा। यह कदम देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को समझने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

इस बार जनगणना फॉर्म में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार लोगों से उनके माता–पिता की जन्मतिथि और उनके जन्मस्थान की जानकारी मांगी जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह डेटा नागरिकता के मानदंडों को समझने और निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि, सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि केवल इस जानकारी के आधार पर नागरिकता का अधिकार तय नहीं होगा।

डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इस बार स्व–गणना पर काफी जोर दिया गया है। 17 से 30 अगस्त के बीच नागरिक खुद se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए आपको घर पर जनगणनाकर्मी के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रक्रिया न केवल समय बचाएगी बल्कि डेटा की सटीकता भी बढ़ाएगी।

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या जाति बताने के लिए कोई सरकारी दस्तावेज दिखाना होगा? तो इसका जवाब है, नहीं। जनगणना के दौरान उत्तरदाता जो भी जाति बताएगा उसे वैसा ही दर्ज किया जाएगा। किसी भी जाति या श्रेणी के सत्यापन के लिए कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। स्पेलिंग भी वही लिखी जाएगी जो जवाब देने वाला बताएगा।

साल 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के दौरान स्व–घोषणा के कारण 45,000 से अधिक जातियों के नाम सामने आए थे, जिससे डेटा का विश्लेषण करना बेहद जटिल हो गया था। लेकिन इस बार सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत डिजिटल टूल्स का सहारा ले रही है। इनकी मदद से डेटा को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे भविष्य की सरकारी योजनाओं को बनाने में आसानी होगी।

इस बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को जनगणना 2027 से अलग रखा गया है। जनगणना का यह दूसरा चरण देश की भविष्य की नीतियों और विकास के खाके को तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

1 अक्टूबर से बदलेंगे आरबीआई के डिपोजिट रूल, जानें एफडी कराने वालों पर क्या होगा असर

नई दिल्ली, 04 अगस्त।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा राशि से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे. ये नियम कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, पेमेंट बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लागू होंगे.

हालांकि, इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि 1 अक्टूबर से फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें अपने–आप बदल जाएंगी. आरबीआई ने साफ किया है कि इन नियमों का मकसद ग्राहकों के लिए ज्यादा पारदर्शिता लाना और बैंकों को बल्क डिपॉजिट के मामले में कुछ अतिरिक्त सुविधा देना है.

अगर आप एफडी कराने की सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या ब्याज दरें बढ़ेंगी या घटेंगी. फिलहाल इसका जवाब नहीं है. आरबीआई के नए नियमों में कहीं भी ब्याज दर बढ़ाने या घटाने की बात नहीं कही गई है. यानी 1 अक्टूबर से सिर्फ नियम बदलेंगे, ब्याज दरें नहीं. बैंक आगे भी अपनी जरूरत, फंडिंग कॉस्ट, लिक्विडिटी और बाजार की स्थिति को देखते हुए एफडी की ब्याज दर तय करेंगे.

आरबीआई के अनुसार अब बैंक जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दरों की जानकारी पहले से अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करेंगे. खासकर बल्क डिपॉजिट के लिए बैंक को हर कारोबारी दिन सुबह 10 बजे ब्याज दर वेबसाइट पर डालनी होगी. अगर किसी वजह से देरी होती है तो अधिकतम 10.10 बजे तक यह जानकारी उपलब्ध करानी होगी. इसका फायदा यह होगा कि ग्राहकों को ब्याज दरों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी और प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी होगी.

आरबीआई ने कहा है कि समान राशि और एक ही तारीख पर जमा किए गए डिपॉजिट पर सभी शाखाओं में एक जैसी ब्याज दर लागू होगी. यानी किसी बैंक की अलग–अलग शाखाओं में एक ही तरह के डिपॉजिट पर अलग ब्याज देने की गुंजाइश नहीं होगी. इससे ग्राहकों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा.

बल्क डिपॉजिट के मामले में आरबीआई ने बैंकों को कुछ लचीलापन दिया है. बैंक जरूरत के अनुसार अलग ब्याज दर तय कर सकेंगे. इसके लिए वे लिक्विडिटी, फंडिंग कॉस्ट और बाजार की स्थिति जैसे पहलुओं को ध्यान में रख सकेंगे.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक पर 108 सुझाव मिले

नई दिल्ली, 04 अगस्त (हि.स.)। सरकार ने मंगलवार को राज्य सभा में बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2026 के मसौदे पर विभिन्न हितधारकों और आम जनता से करीब 108 टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए हैं। सरकार ने कहा कि वह प्राप्त सुझावों और उठाई गई चिंताओं से अवगत है तथा व्यापक परामर्श, संवाद और सहमति के आधार पर आगे की प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभाणिया ने कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्य सभा सदस्य मल्लिकार्जुन खरगे के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित संशोधन के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थी परिवारों को मौजूदा व्यवस्था के अनुसार प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न देने के बजाय प्रति व्यक्ति सात किलोग्राम खाद्यान्न, अधिकतम 35 किलोग्राम प्रति परिवार की सीमा के साथ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

राज्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में देश में 26,81,565 अंत्योदय अन्न योजना परिवार ऐसे हैं जिनमें पांच से अधिक सदस्य हैं। प्रस्तावित संशोधन लागू होने पर इन परिवारों को प्रति व्यक्ति सात किलोग्राम से कम खाद्यान्न मिलेगा, क्योंकि प्रति परिवार 35 किलोग्राम की अधिकतम सीमा लागू रहेगी। सरकार ने बताया कि संशोधन का मसौदा जारी करने से पहले विभाग ने एएवाई परिवारों के आंकड़ों का विश्लेषण किया।

नई दिल्ली में शुरू हुआ आईएसएसएफ शॉटगन रेफरी कोर्स, शूटरों को मिलेगा तकनीकी मजबूती का नया आधार

नई दिल्ली, 04 अगस्त (हि.स.)।

भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) ने देश में निशानेबाजी के तकनीकी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए सोमवार से पांच दिवसीय आईएसएसएफ शॉटगन रेफरी कोर्स का शुभारंभ किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 03 से 07 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर के योग्य तकनीकी अधिकारियों और मैच रेफरी तैयार करना है।

कोर्स का संचालन अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ (आईएसएसएफ) द्वारा नामित बहरीन के नूरुद्दीन अलयासी कर रहे हैं, जबकि भारत के अमर जंग सिंह सह–प्रशिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रशिक्षण में भारत, सऊदी अरब और श्रीलंका के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर तकनीकी अनुभवों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के आदान–प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा।

महासचिव पवन कुमार सिंह ने बताया कि देश में लंबे समय से प्रशिक्षित शॉटगन रेफरी की कमी रही है, जिसके कारण कई घरेलू प्रतियोगिताओं में भी विदेशी अधिकारियों की सहायता लेनी पड़ती थी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों में योग्य रेफरी तैयार करेगा, जो जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इस कोर्स में प्रतिभागियों को आईएसएसएफ के नवीनतम शॉटगन नियमों, प्रतियोगिता संचालन, रेंज प्रबंधन, रेफरी की जिम्मेदारियों, सुरक्षा मानकों तथा उच्चस्तरीय मुकाबलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया का सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इतिहास के पन्नों में 05 अगस्तः आज ही के दिन अनुच्छेद 370 हटा

नई दिल्ली, 04 अगस्त (हि.स.)। भारत के परिप्रेक्ष्य में 05 अगस्त वास्तव में ऐतिहासिक, अद्भुत और अविस्मरणीय तिथि बन गई है। आज के दिन 2019 में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को हटा दिया। इसके तहत जम्मू–कश्मीर अब भारत के अन्य राज्यों के समान पूरी तरह संविधान के अधीन आया। राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। देश के सभी कानून और योजनाएं अब जम्मू–कश्मीर में भी समान रूप से लागू हो गई हैं। यह निर्णय केंद्र सरकार ने सुरक्षा, विकास और एक भारत की भावना के तहत लिया, जिसे व्यापक राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों वाला माना जाता है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1775 – बंगाल नवाब के अधिकारी नंदकुमार को कलकत्ता (अब कोलकाता) में फांसी दी गई।
1874 – जापान ने इंग्लैंड की तर्ज पर डाक बचत प्रणाली शुरू की।
1914 – अमेरिका में पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट लगाई गई।
1914 – क्यूबा, उरुग्वे, मैक्सिको और अर्जेंटीना ने प्रथम विश्व युद्ध में तटस्थ रहने की घोषणा की।
1915 – प्रथम विश्व युद्ध में वारसा पर जर्मनी का अधिकार हो गया इससे पहले यह क्षेत्र रुस के अधिकार में था।
1921 – अमेरिका और जर्मनी ने बर्लिन शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1923 – हेनरी सुलिवान इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले अमेरिकी तैराक बने।
1945 – अमेरिकी हवाई जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया।
1949 – इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में 6.7 की तीव्रता वाले भूकंप से छह हजार लोगों की मौत।
1963 – रूस ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉस्को में परमाणु परीक्षण निषेध सन्धि की।
1991 – न्यायमूर्ति लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायधीश बनीं।
1999 – चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर।
2008 – भारत के अंडमान निकोबार द्वीप से 176 मील उत्तर–पूर्व में हिंद महासागर में 5.5 तीव्रता के भूकंप का झटका महसूस किया गया।
2011 – नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर पानी होने का साइंस पत्रिका में दावा किया।

पीएम पोषण योजना में स्थानीय खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल पर जोर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेनू तय करने की छूट

नई दिल्ली, 04 अगस्त।

प्रधानमंत्री पोषण (पीएम पोषण) योजना के तहत पात्र बच्चों को पोषण समतुल्यता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप गर्म एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप मेनू तय करने तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मोटे अनाज, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह जानकारी शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश सरकारी विद्यालय तथा विद्यालय शिक्षा बोर्ड राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन आते हैं। पीएम पोषण योजना का क्रियान्वयन भी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सहयोग से किया जाता है। बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की समग्र जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है।

पीएम पोषण योजना के तहत प्रत्येक कार्य दिवस पर पात्र बच्चों को एक बार गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के भोजन में प्रतिदिन प्रति बच्चा 450 कैलरी और 12 ग्राम प्रोटीन का पोषण मानक निर्धारित है। इसके लिए 100 ग्राम खाद्यान्न, 20 ग्राम दालें, 50 ग्राम सब्जियां तथा 5 ग्राम तेल एवं वसा का प्रावधान है।

उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए प्रतिदिन प्रति बच्चा 700 कैलरी और 20 ग्राम प्रोटीन का पोषण मानक

निर्धारित किया गया है। इसके लिए 150 ग्राम खाद्यान्न, 30 ग्राम दालें, 75 ग्राम सब्जियां और 7.5 ग्राम तेल एवं वसा का प्रावधान है। नमक और मसालों का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप भोजन का मेनू तैयार करने की छूट है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर उत्पादित मोटे अनाज, सब्जियां, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे बच्चों को स्थानीय आहार परंपराओं के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराने के साथ स्थानीय कृषि और खाद्य उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता है।

योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विद्यालय पोषण वाटिकाएं स्थापित करने तथा चिन्हित जिलों में पूरक पोषण संबंधी हस्तक्षेपों के लिए कुल आवर्ती बजट के 5 प्रतिशत तक फ्लेक्सी घटक का उपयोग करने का प्रावधान है। कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय खान–पान की आदतों, सांस्कृतिक प्राथमिकताओं, खाद्य उपलब्धता और आहार संबंधी व्यवहार को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पूरक पोषण भी उपलब्ध कराते हैं। (इनपुटः पीआईबी)

साल 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत लाया गया– गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 04 अगस्त (हि.स.)।

वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी विस्तृत विवरण में कहा कि भगोड़े अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाते हुए सरकार ने प्रत्यर्पण, अंतरराष्ट्रीय समन्वय और आधुनिक तकनीक आधारित तंत्र को मजबूत किया है।

मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किए जाने के बाद भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को नई गति मिली। वर्ष 2019 में एनआईए (संशोधन) अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) में संशोधन के बाद वर्ष 2020 से भगोड़ों की वापसी के लिए मिशन मोड में अभियान चलाया गया। वर्ष 2024 में लागू तीन नए आपराधिक कानूनों में भगोड़े आरोपियों के खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंटिया (अनुपस्थिति में मुकदमा) का भी प्रावधान किया गया।

गृह मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2004 से 2013 के बीच भारत औसतन केवल चार भगोड़े अपराधियों का ही प्रत्यर्पण करा सका था, जबकि 110 प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित थे। उस समय सीमित प्रत्यर्पण संधियां, कमजोर कानूनी ढांचा और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी बड़ी बाधाएं थीं।

मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत में आयोजित इंटरपोल महासभा के बाद अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत किया गया। जनवरी 2025 में शुरू किए गए भारतपोल प्लेटफॉर्म के जरिए सीबीआई, राज्यों की पुलिस तथा केंद्रीय जांच एजेंसियों की 1,400 से अधिक इकाइयों को एकीकृत किया गया, जिससे सूचना साझा करने और प्रत्यर्पण प्रक्रिया में तेजी आई है।

सरकार ने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भगोड़े अपराधियों की लगभग 17,874 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गईं। वहीं, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में 40, 2023 में 100, 2024 में 107, 2025 में 112 तथा वर्ष 2026 में जुलाई तक 182 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पिछले तीन वर्षों में कुल 401 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए।

मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2019 से जुलाई 2026 तक वापस लाए गए 274 भगोड़ों में हत्या, डकैती और अन्य हिंसक अपराधों के 62, यौन अपराध एवं पॉक्सो मामलों के 53, संगठित अपराध एवं गैंगस्टर मामलों के 42, मानव तस्करी एवं अपहरण के 18, आतंकवाद एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के 17, मादक पदार्थों की तस्करी के 16 तथा आर्थिक एवं वित्तीय अपराधों के नौ आरोपित शामिल हैं।

गृह मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन त्रिशूल के तहत इंटरपोल के सहयोग से उपग्रह इनपुट, डिजिटल फुटप्रिंट विश्लेषण और प्रोफाइल मैपिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर विदेशों में छिपे भगोड़ों का पता लगाया गया। कई मामलों में आरोपितों ने अपनी पहचान और नाम बदल लिए थे लेकिन भारतीय एजेंसियों ने तकनीकी सहायता से उन्हें खोज निकाला।

मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका से तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण भारत की कानूनी, कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। सरकार ने यह भी कहा कि भगोड़े अपराधियों की वापसी केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वित होल–ऑफ–गवर्नमेंट दृष्टिकोण का परिणाम है। जनवरी 2026 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) के तहत स्थायी फोकस ग्रुप का गठन भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम बताया गया है।

अरुणाचल प्रदेश को मिला पहला रामसर स्थल, ग्लॉव झील को मिली अंतरराष्ट्रीय मान्यता

नई दिल्ली, 04 अगस्त (हि.स.)।

आर्द्रभूमि (वेटलैंड) संरक्षण के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉव झील को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसके साथ ही देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 101 हो गई है।

पूर्वी हिमालय में कमलांग टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित यह स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह झील बारहमासी पर्वतीय जलधाराओं से पोषित होती है और इसके आसपास घने वन फैले हुए हैं। इस क्षेत्र और इसके जलग्रहण क्षेत्र में 150 से अधिक वृक्ष प्रजातियां तथा 49 ऑर्किड प्रजातियां दर्ज की गई हैं।

सोमवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि वर्ष 2014 में देश में केवल 26 रामसर स्थल थे, जो अब बढ़कर 101 हो गए हैं। यह

उपलब्धि पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन, जल एवं जलवायु सुरक्षा तथा सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक नया रामसर स्थल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के साथ–साथ उन समुदायों के भविष्य को भी सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिनकी आजीविका इन आर्द्रभूमियों पर निर्भर है।

केंद्र ने दोपहिया सड़क एंबुलेंस के लिए नियम बनाने का मसौदा जारी किया

नई दिल्ली, 04 अगस्त (हि.स.)।

केंद्र सरकार ने दोपहिया सड़क एंबुलेंस के संचालन, निर्माण और सुरक्षा मानकों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का मसौदा अधिसूचना जारी किया है। प्रस्ताव के तहत एक अक्टूबर 2027 से निर्मित एल–2 श्रेणी की दोपहिया सड़क एंबुलेंस के लिए नए सुरक्षा और कार्यात्मक मानकों का पालन अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में बताया कि वर्तमान में दोपहिया सड़क एंबुलेंस केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अलग श्रेणी के वाहन के रूप में विनियमित नहीं हैं। इसके कारण इनके निर्माण, सुरक्षा, रोगी परिवहन प्रणाली, प्रकार अनुमोदन, पंजीकरण और फिटनेस परीक्षण के लिए कोई राष्ट्रीय मानक निर्धारित नहीं है। प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से एआईएस–209 (भाग–1): 2026 मानक को लागू कर इन कमियों को दूर किया जाएगा।

मंत्रालय के अनुसार दोपहिया सड़क एंबुलेंस ग्रामीण, दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों में त्वरित आपातकालीन चिकित्सा सेवा तथा अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, जहां सामान्य एंबुलेंस आसानी से नहीं पहुंच पाती। एक अक्टूबर 2027 से एल–2 श्रेणी की सभी नई दोपहिया सड़क एंबुलेंस को एआईएस–209 (भाग–1): 2026 मानक के अनुरूप बनाया जाएगा। इन वाहनों में लगाए जाने वाले आपातकालीन शीर्ष चेतावनी प्रकाश (टॉप लाइट) भी इसी मानक के अनुरूप होंगे।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इन एंबुलेंसों का संचालन केवल उन क्षेत्रों में किया जाएगा, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारें अधिसूचित करेंगी। इन्हें परिवहन वाहन की श्रेणी में रखा जाएगा और प्रत्येक दो वर्ष में फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।

फिटनेस परीक्षण के दौरान एंबुलेंस उपकरण या रोगी परिवहन इकाई की सुरक्षित फिटिंग, टायर और पहिए, आपातकालीन चेतावनी लाइट, स्ट्रेचर और उसके लॉकिंग तंत्र, रोगी सुरक्षा बेल्ट, रोगी को चढ़ाने–उतारने की व्यवस्था तथा अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता और वैधता की जांच की जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि एआईएस–209 (भाग–1): 2026 मानक में वाहन की स्थिरता, ब्रेक प्रणाली, पार्किंग ब्रेक, ढलान पर संचालन क्षमता, पीछे की दृश्यता, युग्मन प्रणाली की मजबूती, चेतावनी उपकरण तथा रोगी को सुरक्षित ढंग से लाने–ले जाने और मौसम संबंधी प्रभावों से उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

मंत्रालय के अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था से दोपहिया सड़क एंबुलेंस के निर्माण और संचालन में सुरक्षा तथा जवाबदेही बढ़ेगी। साथ ही दूरदराज और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर होगी।

मंत्रालय ने कहा कि मसौदा अधिसूचना पर 30 दिनों के भीतर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।

नाविक प्रथम अभियान के तहत अबतक 3,972 नाविकों की स्वदेश वापसी

नई दिल्ली, 04 अगस्त (हि.स.)।

केंद्र सरकार ईरान, होर्मुज जलडमरूमध्य, फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में बढ़ते सुरक्षा जोखिमों के बीच 'नाविक प्रथम' पहल के तहत अब तक खाड़ी क्षेत्र से 3,972 भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी करा चुकी है, जबकि 60 जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य से भारत के लिए माल लेकर गुजर चुके हैं। साथ ही जहाजों और नाविकों की रियल टाइम ट्रैकिंग और निगरानी की व्यवस्था भी लागू की गई है।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) ने सुरक्षा स्थिति को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से श्नाविक प्रथमश अभियान लागू किया है। इसके तहत 24 घंटे नियंत्रण कक्ष, डीजी कम्युनिकेशन सेंटर के माध्यम से लगातार निगरानी, प्रत्येक 24 घंटे में स्थिति रिपोर्ट जारी करने और जहाजों तथा भारतीय नाविकों की वास्तविक समय में ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है।

सोनोवाल ने बताया कि 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष अब तक नाविकों, उनके परिजनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों की 15,771 टेलीफोन कॉल और 36,499 ई–मेल का निस्तारण कर चुका है। जरूरत पड़ने पर नाविकों के परिवारों से लगातार संपर्क बनाए रखा जाता है तथा परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। किसी नाविक की मृत्यु की स्थिति में सीफेयरर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी के जरिए तत्काल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था भी है।

उन्होंने बताया कि जनवरी से जुलाई के बीच कई परामर्श जारी किए गए। इनमें भारतीय नाविकों को ईरान भेजने पर रोक, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय, जहाज–तट सुरक्षा अभ्यास, जोखिम आकलन, संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना देने और सुरक्षा हालात बिगड़ने पर संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की तैनाती से बचने जैसे निर्देश शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि एक जुलाई से शुरू किए गए ई–नाविक पोर्टल के जरिए समुद्री दुर्घटनाओं, सुरक्षा घटनाओं और आपात स्थितियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, शिकायत निवारण और संकट प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी और लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, जिससे नौसेना आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता पहुंचा सके।

भारतीय सेना के लिए 'एक्सट्रीम वेदर ग्रेड' ईंधन विकसित, माइनस 42 डिग्री तापमान में भी नहीं जमेगा तेल

नई दिल्ली, 04 अगस्त।

भारतीय सेना दुनिया के सबसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण इलाकों में तैनात रहती है। माइनस 50 डिग्री से लेकर प्लस 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में सेना अपने भारी हथियारों और सैन्य साजो–सामान के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करती है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हाई–एल्टीट्यूड क्षेत्रों में सैन्य वाहनों का ऑपरेशन होता है।

लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में भारतीय सेना के टैंक, बख्तरबंद वाहन और अन्य सैन्य गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला सामान्य डीजल अत्यधिक कम तापमान में जमने लगता है। इसकी वजह से हर समय जंग के लिए तैयार रखने के मकसद से टैंकों और बीएमपी को रात–रातभर समय–समय पर स्टार्ट करना पड़ता था, ताकि इंजन और पूरा सिस्टम एक्टिव बनी रहे।

अब इस समस्या का समाधान निकाल लिया गया है। भारतीय सेना और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने मिलकर ऐसा एक्सट्रीम वेदर ग्रेड (एक्सडब्ल्यूजी) डीजल विकसित किया है, जो –42 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी नहीं जमेगा। शुक्रवार को थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आधिकारिक तौर पर इस एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का फ्लैग–ऑफ किया।

सेना प्रमुख ने कहा कि वह पूरी तरह समझ सकते हैं कि यह विशेष एक्सडब्ल्यूजी डीजल सेना के 'ए' श्रेणी के वाहनों, जैसे टैंक और अन्य भारी बख्तरबंद वाहन, के साथ–साथ 'बी' श्रेणी के वाहनों, जैसे ट्रक और हल्के सैन्य वाहनों के लिए अत्यधिक ठंड वाले इलाकों में कितना लाभदायक साबित होगा। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना का बड़ा हिस्सा उत्तरी सीमाओं और ऊंचाई वाले चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में तैनात रहता है। हालांकि, अपनी रेजिमेंट के साथ वहां सर्व करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जिन दोनों रेजिमेंटों में उन्होंने कमांड किया, वे शुरुआती दौर में न्योमा क्षेत्र में पायनियर रेजिमेंट थीं।

जनरल धीरज सेठ ने एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल को 'गेम चेंजर' बताते हुए कहा कि भारतीय सेना ने अपनी जरूरत और समस्या को बीपीसीएल के सामने साफ तौर से रखा और दोनों संस्थानों ने मिलकर सिर्फ एक साल के अंदर इसका समाधान विकसित कर लिया। उन्होंने कहा, "यह वास्तव में एक शानदार उपलब्धि है। मेरी जानकारी के मुताबिक, इस डीजल का पोर पॉइंट माइनस 42 डिग्री सेल्सियस तक है, जबकि इसका फ्लैश पॉइंट लगभग 50 डिग्री सेल्सियस है। यानी यह अत्यधिक ठंड और गर्मी, दोनों परिस्थितियों में प्रभावी रहेगा।"

सामान्य डीजल में पैराफिन वैक्स मौजूद होता है, जो ईंधन को जरूरी चिकनाई और गाढ़ापन देता है। लेकिन तापमान शून्य से काफी नीचे जाने पर यही वैक्स जमने लगता है और डीजल के फ्लो में बाधा पैदा करता है। इससे ऑयल फिल्टर चॉक हो सकते हैं और गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत आती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए बीपीसीएल ने खास तकनीक की मदद से एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल विकसित किया है।

अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट डे आज, जानें ट्रैफिक सिगनल का इतिहास

नई दिल्ली, 04 अगस्त।

आज यानी 5 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जा रहा है हर साल ये दिन जेम्स हॉग द्वारा डिजाइन किए गए और 1918 में पेटेंट कराए गए दुनिया के पहले ट्रैफिक सिग्नल की वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है.

दुनिया के पहले ट्रैफिक सिग्नल को लेकर कई दावे हैं. 1868 में लंदन में एक गैसलाइट और एक मानव निर्मित यातायात संकेत स्थापित किया गया था. इसके दो हाथ थे: एक को "स्टॉप" कहा गया है और दूसरे के द्वारा "सावधानी" दर्शायी गई है.

दुर्भाग्य से, इसकी स्थापना के एक महीने के भीतर ही इसमें विस्फोट हो गया. 1910 में पहली स्वचालित यातायात नियंत्रण प्रणाली बनाई गई थी. यह प्रकाश नहीं करता था, लेकिन यह "रोकें" और "आगे बढ़ें" प्रदर्शित करता था. साल्ट लेक सिटी में एक पोल पर लकड़ी के बक्से पर लाल और हरी बत्ती के साथ एक ट्रैफिक लाइट 1912 में स्थापित की गई थी.

मिशिगन के डेट्रायट के एक पुलिस अधिकारी विलियम पॉट्स ने चार–तरफा स्टॉप में इस्तेमाल होने वाले तीन–रंग की ट्रैफिक लाइट का आविष्कार किया था. 1920 के दशक–1923 में, गैरेट मॉर्गन ने टी–आकार के ट्रैफिक सिग्नल का आविष्कार कियाय उन्होंने इसका पेटेंट कराया और बाद में इसे जनरल इलेक्ट्रिक को बेच दिया.

इन विवादों के बीच 5 अगस्त दुनिया के पहले ट्रैफिक

सिग्नल का आधिकारिक दिन बना रहा. ट्रैफिक लाइट समय–समय पर बेहतर होती जा रही है.1950 के दशक में कंप्यूटर ने उन्हें नियंत्रित करना शुरू किया. कंप्यूटरों को डिटेक्शन प्लेट्स लगाने की भी अनुमति दी गई थी, जिन्हें वाहनों के मौजूद होने पर पता लगाया जा सकता था. बुनियादी लाल, पीली और हरी बत्तियों के अलावा, समय के साथ ट्रैफिक लाइटें विकसित हुई हैं.

बिना किसी पुलिसकर्मी के काम करने वाली पहली स्वचालित ट्रैफिक लाइट 1922 में उपलब्ध हुई. अनुमान लगाओ कहाँ? अमेरिका में फिर से, ह्यूस्टन, टेक्सास में. उस उपकरण ने सिग्नल बदलने से पहले शेष सटीक समय भी प्रदर्शित किया. उसके बाद सतर्क अंग्रेज ट्रैफिक लाइटों को वापस ले आए. लंदन में ऑटोमोबाइल के शोर प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए पिकाडिली सर्कस में पहली आधुनिक प्रकार की ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी.

विश्व एथलेटिक्स अंडर–20 चैंपियनशिप के लिए 36 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित

नई दिल्ली, 04 अगस्त (हि.स.)।

अमेरिका के यूजीन में 5 से 9 अगस्त तक आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स अंडर–20 चैंपियनशिप 2026 के लिए भारत की 36 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला एथलीट शामिल हैं, जो कुल 18 स्पर्धाओं में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पुरुष वर्ग में मोहम्मद अशफाक, पीयूष राज (400 मीटर), वेंकटराम रेड्डी मोगाली, उविन आनंद (800 मीटर), अमित कुमार (400 मीटर बाधा दौड़), बसंत और अम्ब्रीश कार्तिकेयन (ऊंची कूद), शाहनवाज खान और जितिन अर्जुनन रमन (लंबी कूद), रॉयशन चंद्रशेखर और धनुष राज मनप्पट्टी (त्रिकूद), निश्चय (डिस्कस थ्रो), आशीष यादव और धरनीधरन थियागराजन (भाला फेंक), नितिन गुप्ता (5000 मीटर रेस वॉक) शामिल हैं।

विश्व एथलेटिक्स अंडर–20 चैंपियनशिप को युवा एथलीटों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित करने का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। भारतीय एथलीट इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर भविष्य के वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश करेंगे।